(ङ) क्या मांग के अनुरूप एक्स-रे फिल्मों की सप्लाई नहीं हो पाती है ;

(ग) करों और शुल्कों के अलावा "इन्दु" और अन्य कम्पनियों द्वारा निर्मित "मानक" नाप की एक्स-रे फिल्म का मूल्य कितना है और उन पर, यदि कोई कर या शुल्क लगाया जाता है, तो उसकी राशि कितनी है ;

(घ) क्या एक्स-रे फिल्में आयात की जा रही हैं ; और

(ङ) आयातित फिल्म का विक्रय मूल्य क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ). हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि., उटकमण्ड देश में एक्स-रे फिल्में बनाने वाली एक मात्र कम्पनी है। कम्पनी के उटकमण्ड स्थित संयंत्र की मैडिकल एक्सरे फिल्में बनाने की एकीकृत वार्षिक उत्पादन क्षमता 21.62 लाख वर्ग मीटर है। अम्बत्तूर, मद्रास के कनवर्शन प्लांट की मेडीकल एक्स-रे फिल्मों की क्षम्बता 20 लाख वर्ग मीटर है । अम्बत्तूर एकक की औद्योगिक एक्स-रे फिल्मों की कनवर्शन की क्षमता 2.5 लाख वर्ग मीटर है ।

यह कम्पनी एक्स-रे फिल्मों की मांग अपने ही उत्पादन से पूरा कर रही है। किसी विशेष वर्ष में अचानक बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए यह आयातित जम्बो फिल्मों का कनवर्शन करके अतिरिक्त उत्पादन करने की भी व्यवस्था करती है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा उत्पादित/कन्वर्ट की हुई प्रचलित आकारों की एक्स-रे फिल्मों के बिक्री मूल्य तथा उस पर लगने वाले उत्पादन शुल्क इस प्रकार हैं :-

आकार	मूल्य (रु०)	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (रु०)	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सहित मूल्य (रू०)
1. $6\frac{1}{2}\times8\frac{1}{2}''$ (50 शीटें)	165.65	13.25	178.90
2. $10\times12''$ (50 शीटें)	351.30	28.10	379.40
3 $8\times10''$ (50 शीटें)	237.65	19.01	256.66
4. $12\times05''$ (50 शीटें)	536.70	42.54	574.24

स्थानीय कर और उत्पादन शुल्क चालू दरों के अनुसार इसके अतिरिक्त हैं ।

कुछ विशेष प्रकार की एक्स-रे फिल्मों के लिए जैसे कि डेन्टल एक्स-रे, मैमोग्राफिक फिल्मों, मास मिनिएचर फिल्मों, वैयक्तिक (परसोनल) मॉनिटरिंग फिल्मों आदि जो कि कम्पनी की उत्पादन सीमा में नहीं हैं खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है ।

Rise in cement price in Bangalore

*351. SHRI T. R. SHAMANNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of Government that the cost of cement in Bangalore which was about Rs. 65 per bag has all of a sudden gone upto Rs. 80 to Rs. 85 per bag;

(b) whether the cement Controller has issued an order that all levy cement be supplied by 31 October, 1982; and

(c) whether Government will take steps to see that the price of cement which is already high does not go up?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) to (c). Under the policy of partial decontrol of cement, cement sold in the open market in the non-levy category is free from price and distribution control. As there has been some short fall in the supplies of levy cement to the priority sectors, cement factories were instructed to make good the deficit before effecting releases under non-levy category. Some of the cement factories which normally supply cement to Karnataka are covered by these instructions. Further, power cuts recently imposed by the Tamil Nadu Government on cement factories supplying cement to parts of Karnataka including Bangalore City, have affected the overall availability of cement. In such a situation possibility of a temporary spurt in the price of non-levy cement, on which there is no price and distribution control, cannot be ruled out. Efforts are being made to ease the overall availability of cement by better utilisation of existing capacity, sanctioning new capacities and allowing imports.

कागज की कीमतों में वृद्धि

3615. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक निर्माता संगठन, मेरठ, उत्तर प्रदेश ने कागज की कीमतों में तीव्र वृद्धि पर विरोध-पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उत्तर प्रदेश अभ्यास पुस्तिका निर्माता संगठन मेरठ ने छपाई के सफेद कागज के बढ़ाए हुए मूल्य की कागज मिलों द्वारा की जा रही मांग के बारे में अभ्यावेदन दिया है।

(ख) अनेक कागज मिलों ने कर्नाटक और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं और कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979 में अधिसूचित छपाई के सफेद कागज के 4200 रु. प्रति मी. टन मूल्य को हटाए जाने के और मिलों द्वारा अपनी रिट याचिका में प्रस्तुत उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर विभिन्न मूल्यों की अनुमति देने के अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए हैं। सरकार इन मुकदमों को न्यायालय में लड़ रही है।

Representation from Curti Chemicals Workers Committee

3616. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the Curti Chemicals Workers Committee; and

(b) if so, the details of their demand and the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b). A representation has been received from Curti Chemicals Workers Committee against the import of Saccharin which is stated to be affecting the indigenous industry. The reliefs sought by Curti Chemicals Workers Committee include imposition of a ban on the import of Saccharin to India, cancellation of import licences and imposition of heavy import and excise duties, in case any imports are allowed.